संख्या-120/2017/1843/22-2-2016-17(20)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोबिन्दराम, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोबिन्दराम, निवासी-सूरजपुर, थाना-बरला, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। जमीन के बटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15/16.03.1981 की रात्रि लगभग 01:00 बजे घर में घुसकर देशी तमन्चे व चाकू से हमला कर केवलराम व नारायणी देवी की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-214/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 20.10.1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2015 तक 14 वर्ष 08 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बन्दी के रिहा होने पर दोनों पक्षों में पुन: रंजिश की सम्भावना है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर में घुसकर पिस्तौल व चाकू से हमला कर 01 व्यक्ति व 01 महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोबिन्दराम, निवासी जनपद-अलीगढ़ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी डिप्टी सिंह (बन्दी संख्या-6899) पुत्र श्री गोबिन्दराम निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-120/2017/1843(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-120/2017/1843/22-2-2016-17(20)/2012

दिनांक 27 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोबिन्दराम, निवासी-सूरजपुर, थाना-बरला, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। जमीन के बटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15/16.03.1981 की रात्रि लगभग 01:00 बजे घर में घुसकर देशी तमन्चे व चाकू से हमला कर केवलराम व नारायणी देवी की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-214/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 20.10.1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2015 तक 14 वर्ष 08 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बन्दी के रिहा होने पर दोनों पक्षों में पुन: रंजिश की सम्भावना है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर में घुसकर पिस्तौल व चाकू से हमला कर 01 व्यक्ति व 01 महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोबिन्दराम, निवासी जनपद-अलीगढ़ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।